रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 52] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 4, 1972/फाल्गुन 14, 1893

No. 52] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 4, 1972 PHALGUNA 14, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 4th March 1972

SUBJECT.—*Import of Built up passenger Car, Station Wagon, Jeeps etc.*

No. 39-ITC(PN)/72.—The provisions regarding import of cars etc. have been reviewed and the following additions, alterations made:—

(i) **No-sale period of car.**—The 'no-sale period of imported cars, brought as baggage, by Indian nationals, which was so far 7 years from the date of initial registration and 5 years from the date of importation, whichever is later appearing

in para 3(1)(ii) of Appendix 27 of I.T.C. Hand Book of Rules and Procedure (1971), will now be 5 years from the date of its importation, irrespective of the date of its initial registration abroad. This will also apply to repatriates and non-repatriates from East African and other countries. Insofar as foreign nationals, institutions and companies etc. are concerned the 'no-sale' period will continue to be 10 years from the date of initial registration abroad or 5 years from the date of importation whichever is later.

(ii) **C.I.F. Value limitation.**—The upper limit, shown in para 1 of the Appendix 27 of I.T.C. Hand Book, in respect of cars to be imported from non-American countries has been raised to Rs. 35,000 with the proviso that cars upto and including the level of Mercedes Benz 230 only will be permitted. The upper limit for cars from American continent will continue to be Rs. 32,000 with the condition that cars above the level of Chev. Impalla will not be permitted. Spares upto the value of Rs. 800 only will be permitted to be imported alongwith the car.

(iii) **Import of cars by Disabled persons.**—Import of car as gift or otherwise may be permitted to disabled persons on merit. In such cases 'no-sale' condition will, however, be for ten years from the date of import and the upper limit of Rs. 30,000 c.i.f. would be applicable. Other conditions will be the same as for Indian nationals.

(iv) **Import of car as gift.**—Import of a car as gift from the parents of foreign ladies (including foreign ladies of Indian origin) married to Indian nationals who are permanently settled in India, within the limit of F.O.B. value of £ 1170.00 may be considered.

(v) **Import of cars by Companies.**—In addition to the provision in para 3 of Appendix 27 of I.T.C. Hand Book regarding import of cars by certain categories of Companies, it has been decided that Companies which are partly owned by the Government and partly by a foreign Collaborator, may also be permitted to import a car provided they have financial as well as technical foreign Collaboration and the agreement provides for the visits of foreign technical experts/Directors to India.

Appendix 27 of the Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure (1971), may be deemed to have been amended accordingly.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports and Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 4 मार्च, 1972.

विषय :—निर्मित सवारी कार, स्टेशन वैगन जीप आदि का आयात।

सं० 39-आई०टी०सी० (पी०एन०)/72.—कारों आदि के आयात में सम्बन्धित व्यवस्थाओं की पुनरीक्षा की गई है और उन व्यवस्थाओं में निम्नलिखित संशोधन परिवर्तन किए गए हैं :—

(1) **कार को बिकीन करने की अवधि**:—भारतीय नागरिकों द्वारा अभवाव के रूप में लाई गई आयातित कारें की बिक्री पर रोक की अवधि जो अब तक प्रारम्भिक पंजीकरण की तिथि से 7 साल

और आयात की तिथि से 5 साल, इन में जो भी बाद की हो, वह भी और जो आयात व्यापार नियंत्रण, नियम तथा रकिया हैंड बुक (1971) के परिशिष्ट 27 की कंडिका 3(1)(2) में प्रदर्शित है, अब वह अवधि, विदेश . . . रंजीकरण को ध्यान में रखते हुए, आयात की तिथि से 5 साल की होगी। यह अवधि पूर्वी अफ्रीका देशों और अन्य देशों में स्वदेश प्रत्यावर्तित और गैर प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के लिए भी लागू होगी। जहां तक विदेशी नागरिकों, संस्थानों और समवायों का सम्बन्ध है इन के मामलों में "बिक्री" न करने की अवधि, विदेश में प्रारम्भिक पंजीकरण की तिथि से 10 साल अथवा आयात की तिथि से 5 साल, इन में जो भी बाद में हो, जारी रहेगी।

(2) **लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य सीमा** :—गैर अमरीकी देशों से आयात की जाने वाली कारों के सम्बन्ध में आयात व्यापार नियंत्रण हैंडबुक के परिशिष्ट 27 की कंडिका 1 में प्रदर्शित उच्च सीमा इस शर्त के साथ 38,000/-रुपये तक बढ़ा दी गई है कि केवल मर्सिडीज बेन्ज 230 तक के लेबिल और इससे सहित ही कारों की अनुमति दी जाएगी। अमरीकी महाद्वीप से कारों के लिए उच्च सीमा इस शर्त के साथ 32,000/ रुपये जारी रहेगी कि शिवरलेट इम्पाला के लेबिल से ऊपर की कारों की अनुमति नहीं दी जाएगी। कार के साथ केवल 800/रुपये के मूल्य तक के फालतू पुर्जे आयात करने की अनुमति दी जाएगी।

(3) **विकलांग व्यक्तियों द्वारा कारों का आयात** :—विकलांग व्यक्तियों को उपहार के रूप में या अन्य प्रकार से कारों के आयात की अनुमति योग्यता के आधार पर दी जाएगी। लेकिन ऐसे मामलों में "बिक्री" न करने की शर्त आयात करने की तिथि से 10 साल होगी और 30,000/ रुपये लागत-बीमा-भाड़ा की उच्च सीमा लागू रहेगी। अन्य शर्तें भारतीय नागरिकों की शर्तों जैसी ही होंगी।

(4) **उपहार के रूप में कार का आयात** :—स्थायी रूप से भारत में बसे हुए भारतीय नागरिकों से विवाहित विदेशी महिलाओं (भारतीय वंश की विदेशी महिलाओं सहित) के माता पिता से उपहार के रूप में 1170.00 पौंड के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य की सीमा के भीतर आने वाली कार के आयात पर विचार किया जा सकता है।

(5) **समवायों द्वारा कारों का आयात** :—समवायों की कतिपय श्रेणियों द्वारा कारों के आयात के सम्बन्ध में आयात व्यापार नियंत्रण हैंड बुक के परिशिष्ट 27 की कंडिका 8 की व्यवस्था के अतिरिक्त यह निश्चय किया गया है कि उन समवायों को भी कार आयात करने की अनुमति दी जा सकती है जो आंशिक रूप से सरकार के और आंशिक रूप से विदेशी सहयोगी के स्वामित्व में है बशर्ते कि वे समवाय विदेशी सहयोगी भी रखते हों और विदेशी विशेषज्ञों। निदेशकों की भरती आदि के लिए करार में व्यवस्था हो।

आयात व्यापार नियंत्रण, नियम तथा प्रक्रिया हैंड बुक (1971) के परिशिष्ट 27 को तदनुसार संशोधित किया गया समझा जाए ।

म० म० सेन,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972